‘हंता’ का खौफ खत्म नहीं हुआ, अब नोरो वायरस ने बढ़ाई चिंता

आफत

वाशिंगटन, एजेंसी। दुनिया में अभी हंता वायरस के संक्रमण को लेकर चिंताएं बढ़ी हुई हैं। इस बीच, कैरिबियन प्रिंसेस क्रूज शिप पर नोरो वायरस का संक्रमण फैलने का मामला सामने आया है।

सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने शनिवार को जहाज पर सवार 100 से अधिक यात्रियों और 13 चालक दल के सदस्यों के बीमार होने की सूचना दी। जहाज पर कुल 3,116 यात्री व 1,131 चालक दल के सदस्य हैं। फिलहाल, सभी संक्रमित लोगों को आइसोलेशन में रखा गया है। प्रिंसेस क्रूज ने कहा, कुछ यात्रियों ने पेट दर्द-उल्टी की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद सभी जगह सैनिटाइज किया गया। हालांकि, संक्रमण कैसे फैला, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है।

3,116 जहाज पर कुल यात्री सवार थे। इसमें 1,131 चालक दल के सदस्य हैं

हंता के अब तक आठ मामले

मैड्रिड/वॉशिंगटन। डब्ल्यूएचओ ने शुक्रवार को बताया, हंता वायरस के कुल आठ मामले मिले हैं, जिनमें तीन लोगों की मौत हो चुकी है। छह मरीजों में पीसीआर जांच के जरिये एंडीज वायरस स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। दो मामले संदिग्ध हैं। चार संक्रमित मरीज दक्षिण अफ्रीका, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड के अस्पतालों में भर्ती हैं। जर्मनी भेजे गए मरीज की रिपोर्ट निगेटिव आई है। बता दें, दो मई को संक्रमण की पहली सूचना मिली, तब क्रूज पर 147 यात्री मौजूद थे।

केरल में सबसे ज्यादा प्रभाव

नोरो वायरस की पहचान पहली बार 1968 में अमेरिका के ओहायो के स्कूल में हुई थी। वहां कई बच्चे बीमार पड़ गए थे। हर वर्ष दुनिया में इसके करीब 68 करोड़ मामले आते हैं। केरल में प्रकोप ज्यादा है। यहां सबसे पहले जुलाई, 2021 में अलाप्पुझा में 772 मामले सामने आए थे। इसके बाद नवंबर, 2021 में वायनाड में वेटरनरी कॉलेज के करीब 13 छात्रों में इस वायरस की पुष्टि हुई थी। जनवरी, 2023 में एर्नाकुलम के स्कूल में संक्रमण फैलने के बाद जांच में नोरोवायरस की पुष्टि हुई थी।

क्या है नोरो वायरस

यह एक संक्रामक वायरस है, जो पेट और आंत को प्रभावित करता है। इससे उल्टी और दस्त जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लक्षण पैदा होते हैं। यह दूषित भोजन, पानी और सतहों के माध्यम से आसानी से फैलते हैं। इससे पेट में दर्द, जी मिचलाना, हल्का बुखार और शरीर में कमजोरी भी हो सकती है। क्रूज शिप जैसी जगहें खासतौर पर जोखिम भरी होती हैं, क्योंकि यहां हजारों यात्री और कर्मचारी लंबे समय तक एक साथ रहते हैं।

डीपफेक मामले में शशि थरूर को राहत

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने डीपफेक वीडियो मामले में कांग्रेस सांसद शशि थरूर को बड़ी राहत दी। अदालत ने अंतरिम संरक्षण देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ऐसे वीडियो हटाने और संबंधित यूआरएल को ब्लॉक रखने का निर्देश दिया।

अदालत ने कहा, थरूर को अपने व्यक्तित्व और प्रतिष्ठा से संबंधित सभी पहलुओं पर लागू होने योग्य अधिकार प्राप्त हैं। न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्ना की पीठ ने सुनवाई के दौरान माना कि प्रथम दृष्टया मामला थरूर के पक्ष में बनता है। कोर्ट ने अज्ञात व्यक्तियों को थरूर की पहचान का उपयोग कर एआई या अन्य तकनीकों से फेक कंटेंट तैयार करने या प्रसारित करने से रोक दिया।

त्रिनिदाद और टोबैगो से रिश्ते और मजबूत होंगे : जयशंकर

भरोसा

पोर्ट ऑफ स्पेन, एजेंसी। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद-बिसेसर के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान जयशंकर ने कहा, भारत त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।

जयशंकर शुक्रवार को परामारिबो से पोर्ट ऑफ स्पेन पहुंचे। यह उनकी जमैका, सूरीनाम और त्रिनिदाद एंड टोबैगो की तीन देशों की यात्रा का अंतिम चरण है। यात्रा का उद्देश्य कैरेबियाई देशों के साथ भारत की सहभागिता को और मजबूत करना था। जयशंकर ने एक पोस्ट में कहा, प्रधानमंत्री कमला प्रसाद-बिसेसर और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ हमारी द्विपक्षीय साझेदारी की व्यापक समीक्षा की।

विदेश मंत्री ने स्ट्रीट फूड ‘डबल्स’ का लुत्फ उठाया

विदेश मंत्री जयशंकर ने यात्रा के दौरान यहां के लोकप्रिय स्ट्रीट फूड डबल्स का स्वाद चखा। इस पर कैरेबियाई देश की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद-बिसेसर ने कहा, यह दोनों देशों के बीच बढ़ते सांस्कृतिक संबंधों का उदाहरण है। डबल्स त्रिनिदाद और टोबैगो का लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है, जिसकी जड़ें भारतीय प्रवासी समुदाय से जुड़ी हैं। इसमें मसालेदार छोले को तली हुई पतली रोटियों के बीच परोसा जाता है।

‘भारत-ईयू साझेदारी की कोई सीमा नहीं’

नई दिल्ली। यूरोपीय संघ (ईयू) के राजदूत हर्वे डेल्फिन ने भारत संग साझेदारी को असीमित, महत्वाकांक्षी और प्रगतिशील बताया।

डेल्फिन ने एक कार्यक्रम में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ‘यह युद्ध का युग नहीं है’ वाला संदेश यूरोप के मूल्यों और पहचान के साथ गहराई से मेल खाता है।

सांसद सुप्रिया सुले की कार दुर्घटनाग्रस्त

पुणे। एनसीपी (एसपी) नेता सुप्रिया सुले ने शनिवार को कहा कि पुणे से मुंबई जाते समय एक कार ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी, लेकिन सीट बेल्ट पहनने के कारण वह सुरक्षित हैं।

दिलजीत दोसांझ ने कहा, राजनीति में नहीं आऊंगा

दिल की बात

नई दिल्ली, एजेंसी। गायक-अभिनेता दिलजीत दोसांझ ने शनिवार को राजनीति में आने की अटकलों को खारिज कर दिया। कहा कि मेरा काम मनोरंजन करना है, मैं उसी में खुश हूं।

दोसांझ ने ‘एक्स’ पर एक लेख साझा कि किया, जिसमें यह कयास लगाया गया था कि क्या यह स्टार पंजाब के लिए राजनीतिक चेहरा बन सकता है, जिसकी पंजाब को तलाश है। इस लेख पर अपनी स्थिति साफ करते हुए दोसांझ ने लिखा, ‘कभी नहीं, मेरा काम मनोरंजन करना है। मैं अपने क्षेत्र में बहुत खुश हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

सोसाइटी ने की थीअपील: मालूम हो कि एक सिविल सोसाइटी ग्रुप, जागो पंजाब मंच ने सार्वजनिक रूप से दोसांझ से राजनीति में आने की अपील की थी। उन्हें एक ऐसा नेता बताया था जिसकी जरूरत आर्थिक तंगी और नशे से जूझ रहे पंजाब को है। इस ग्रुप में सेवानिवृत्त नौकरशाह और सेना के जवान शामिल हैं। ग्रुप ने तर्क दिया कि दोसांझ की लोकप्रियता की असली वजह यही है कि उन्होंने कभी सत्ता की चाहत नहीं रखी।

बोले, मेरा काम मनोरंजन करना, मैं उसी में खुश

किसानों का किया था समर्थन: वर्ष 2020 में दोसांझ तब सुर्खियों में आए थे, जब उन्होंने विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध-प्रदर्शन का समर्थन किया था। हाल ही में दोसांझ तब सुर्खियों में रहे जब उन्होंने कनाडा में अपने एक कार्यक्रम के दौरान लहराए जा रहे खालिस्तान समर्थक झंडों पर आपत्ति जताई।

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में उन्हें भीड़ में मौजूद प्रदर्शनकारियों का सामना करते हुए देखा गया।

रथ हत्याकांड में सेलकर्मी की बाइक के नंबर का इस्तेमाल

खुलासा

चासनाला (धनबाद), प्रतिनिधि। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद उत्तर 24 परगना में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सचिव चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में जांच की आंच झारखंड तक पहुंच गई है।

वारदात में इस्तेमाल बाइक के नंबर ने पुलिस की तफ्तीश को चासनाला स्थित सेलकर्मी के घर तक पहुंचा दिया। घंटों पूछताछ के बाद फर्जी नंबर प्लेट का मामला निकला। बता दें कि बीते छह मई की रात साढ़े 10 बजे दोहारिया में बाइक और कार सवार अपराधियों ने चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी थी। जांच के दौरान पुलिस ने अपराधियों की बाइक डब्ल्यूबी 44डी-1990 जब्त की। बाइक आसनसोल के दक्षिण बर्नपुर निवासी विभाष कुमार भट्टाचार्य के नाम पर पंजीकृत पाई गई। पुलिस जब बर्नपुर स्थित पते पर पहुंची तो पता चला विभाष का स्थानांतरण सेल चासनाला में हो गया है।

शुक्रवार को पूछताछ में विभाष ने पुलिस को बताया कि उनकी बाइक घर में ही खड़ी है।

जाली दस्तावेजों के जरिए 17 कैदी जिला जेल से रिहा

आइजोल। मिजोरम की लुंगलेई जिला जेल में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जाली अदालती दस्तावेजों और फर्जी रिहाई आदेशों के जरिए 17 कैदियों को धोखे से रिहा करा लिया गया।

इन कैदियों में पॉक्सों और चोरी के मामलों के दोषी शामिल थे। पुलिस ने इस धोखाधड़ी के गिरोह का पर्दाफाश कर दो आरोपी जेरमिया लालथांगतुरा और सी. लालतलनह्लुआ को गिरफ्तार किया है। इस धोखाधड़ी का खुलासा 27 अप्रैल को हुआ। लुंगलेई की जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर. लालदुहामी ने पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई।

24 अप्रैल को अदालत में पेश हुए दो विचाराधीन कैदियों ने कथित रिहाई आदेश दिखाए, जिससे न्यायाधीश को संदेह हुआ क्योंकि उनकी अगली सुनवाई आठ मई के लिए तय थी।

एच1बी वीजा धारकों का 30% तक बढ़ेगा वेतन

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका में एच1बी वीजा के तहत काम करने वाले विदेशी पेशेवरों के लिए खुशखबरी है। ट्रंप प्रशासन ने इनके न्यूनतम वेतन को 30 फीसदी तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है।

- वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव अमेरिकी प्रशासन ने रखा, जल्द लागू होने की उम्मीद

इस कदम का उद्देश्य अमेरिकी नागरिकों के वेतन पर विदेशी कर्मचारियों के कारण पड़ने वाले दबाव को रोकना है। अमेरिकी श्रम विभाग ने 27 मार्च को प्रस्तावित नियम जारी किया था। विभाग का कहना है कि मौजूदा वेतन मानक लगभग 20 वर्ष पहले तय किए गए थे और अब वे अमेरिकी कर्मचारियों के हितों की पर्याप्त सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। मौजूदा नियम के अनुसार, वर्तमान में एंट्री लेवल विदेशी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वार्षिक वेतन 73,279 डॉलर है। स्तर-दो के लिए यह 98,987 डॉलर, तीन के के लिए 1,21,979 डॉलर और स्तर-चार के लिए 1,44,202 डॉलर निर्धारित है।

नए प्रस्ताव के तहत एंट्री लेवल कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 97,746 डॉलर करने की योजना है, जो मौजूदा दर से 33.39 प्रतिशत अधिक है।

PARAS

करोड़ों की ठगी में तीन साइबर जालसाज दबोचे

कार्रवाई

- आईपीओ, डिजिटल अरेस्ट और फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर लोगों को फंसाते थे

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने तीन राज्यों में छापेमारी कर तीन साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है।

आरोपियों ने आईपीओ निवेश, डिजिटल अरेस्ट और फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर लोगों से 1.22 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की थी। पुलिस अब इनके पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। डीसीपी आदित्य गौतम के अनुसार, लक्ष्मी नगर निवासी एक व्यक्ति से फर्जी स्टॉक मार्केट और आईपीओ में निवेश का झांसा देकर 46.66 लाख रुपये ठगे गए।

ठगों ने वाट्सएप ग्रुप बनाकर भारी मुनाफे का लालच दिया था। जांच के दौरान गुजरात के सूरत से राजेश रत्नभाई हाडिया को गिरफ्तार किया गया। वह अपनी कंपनी के बैंक खाते के जरिए कमीशन लेकर ठगी की रकम ट्रांसफर कराता था।

दूसरे मामले में एक महिला को सीबीआई, ईडी और मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर घंटों ‘डिजिटल अरेस्ट’ में रखा गया। आरोपियों ने आधार कार्ड और मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाकर महिला से 36.19 लाख रुपये ठग लिए। इस मामले में राजस्थान के कोटा से मुसावीर खान को गिरफ्तार किया गया। वह कमीशन लेकर बैंक खाते उपलब्ध कराता था। तीसरे मामले में भोपाल से शुभम राठौर को पकड़ा गया। उसने फर्जी फॉरेक्स ट्रेडिंग वेबसाइट के जरिए एक व्यक्ति से 40.12 लाख रुपये ठगे। जांच में उसके खाते में एक महीने में 1.38 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेनदेन मिले।

punjab national bank ...the name you can BANK upon! पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक!

मंडल सस्त्र कार्यालय – एस 20/56– डी, केनेडी मार्ग, दी मॉल, कैंट, वाराणसी 221 002, ई–मेल : cs8331@pnb.co.in

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम, 2002) के तहत सर्वसाधारण को ई–नीलामी की सूचना

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) एवं नियम 6 (2) के साथ पढ़ी जाती है।

इसके द्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/चार्ज की गई है, जिसका रचनात्मक/भौतिक/प्रतीकात्मक कब्जा उसके द्वारा ले लिया गया है। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता को अपने बकाया की वसूली के लिए नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथि पर **“जहां है जैसे है” और “जो है जैसा है ” और “जो कुछ भी वहां है”** पर बेचा जाएगा। संबंधित उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(गारंटरों) से बैंक/सुरक्षित ऋणदाता को देय। आरक्षित मूल्य और बयाना राशि संबंधित संपत्तियों के सामने नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित होगी।

अचल सम्पत्ति एवं सुरक्षित प्रतिभूतियों का विवरण

क्र0 सं0	उधारकर्ता के खाते का नाम / शाखा का नाम	सम्पत्ति का विवरण	बकाया धनराशि / 13(2) की दिनांक / 13(4) की दिनांक / कब्जे का प्रकार (भौतिक/सांकेतिक)	आरक्षित मूल्य (₹ लाख में) / अग्रिम धनराशि (लाख में) / वृद्धिशील धनराशि / विक्रि पत्र की तिथि	निलामी हेतु दिनांक एवं समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात रुकावटों का विवरण
1.	उधारकर्ता: श्री ब्रिजेश कुमार यादव पुत्र श्री महेंद्र कुमार यादव, पताः एस 8/110 एम 2 आज़ाद नगर कॉलोनी, एम.ए रोड, पांडेपुर, वाराणसी, उ0 प्र0– 221002 जमानतदारः श्रीमती शकुंतला देवी पत्नी श्री महेंद्र यादव, पताः मकान नंबर – एस–8/394 खजूरी गोला चौकाघाट तहसील और जिला – वाराणसी उ0प्र0–221002 शाखाः पीएनबी चौबेपुर कला वाराणसी (149010)	बंधककर्ता का भूमि व भवन स्थित आराजी संख्या 50 मौजा– हाल, वार्ड– सारनाथ, परगना– शिवपुर, तहसील– सदर जिला–वाराणसी, क्षेत्रफल– 680 वर्ग फीट या 63.19 वर्ग मीटर, उप निबंधक कार्यालय–1 वाराणसी, बुक संख्या 1, जिल्द संख्या– 8984, पृष्ठ संख्या 153–174 पर पंजीकृत विलेख संख्या 6570 दिनांक 01.09.2015, (स्वामीः श्रीमती शकुंतला देवी पत्नी महेंद्र यादव), चौहद्दी (विलेख के अनुसार): पूर्व– आराजी का शेष भाग और मीना देवी की भूमि, पश्चिम– कच्ची सड़क 8 फीट चौड़ी, उत्तर– जनार्दन सिंह की भूमि, दक्षिण– पुष्पलता पांडे उर्फ पुष्पलाता पांडे की भूमि।	Rs.7,29,273.23/- + ब्याज + अन्य खर्चे 31.03.2021 से घटाव वसूली, यदि कोई हो। 06/10/2021 23/12/2021 सांकेतिक	₹ 31.37 (लाख) ₹ 3.14 (लाख) ₹ 0.10 (लाख) 27.04.2026	26.05.2026 11.00 AM to 04.00 PM	कुछ नही
2.	चंपा देवी पत्नी महेंद्र राम, श्रीमती चंपा देवी पत्नी महेंद्र चौरसिया और श्री संदीप चौरसिया पुत्र महेंद्र राम चौरसिया एवं श्री महेंद्र राम चौरसिया पुत्र श्री श्याम नारायण राम सभी पतेः मकान नं.– 120, चोपन, पानी टंकी के पास, अदलगंज, रॉबर्टगंज, सोनभद्र (यूपी)– 231205 शाखाः पीएनबी डाला वाराणसी (481700)	सामयिक बंधक भूमि और निर्माण प्लॉट नं./अराजी नं. 1785/647, क्षेत्रफल 153.69 वर्ग. मीटर मौजा– चोपन, परगना– अघोरी, तहसील– रोबर्सट्गंज, जिला– सोनभद्र में स्थित है, 30.08.2011 को पंजीकृत बिक्री विलेख संख्या 4145 (पृष्ठ संख्या– 373 से 396), पुस्तक संख्या– 1, वॉल्यूम के तहत उप-पंजीयक जिला–सोनभद्र के कार्यालय में क्रमांक–3329, (मालिक–श्रीमती चंपा देवी पत्नी महेंद्र चौरसिया), निवासी–चोपन, परगना–अघोरी, तहसील– रॉबर्सट्गंज, जिला–सोनभद्र), चौहद्दी (विलेख के अनुसार): पूर्व–मुंशी शर्मा की भूमि, पश्चिम–राजेंद्र की भूमि, उत्तर–पार्वती देवी, दक्षिण–1 लाठ चौड़ा रास्ता	Rs. 10,43,446.00/- + ब्याज + अन्य खर्चे 01.03.2025 से घटाव वसूली, यदि कोई हो। 08/03/2019 22/05/2019 सांकेतिक	₹ 23.51 (लाख) ₹ 2.36 (लाख) ₹ 0.10 (लाख) ---------------	26.05.2026 11.00 AM to 04.00 PM	कुछ नही
3.	उधारकर्ताः मेसर्स डीप कंस्ट्रक्शन्स, प्रोप0–श्री विनय कुमार दुबे पुत्र स्व0 विजय शंकर दुबे, जमानतदारः श्री विनय कुमार दुबे पुत्र स्व0 विजय शंकर दुबे, पताः मुहल्ला– हर्ष नगर, पोस्ट– रॉबर्ट्सगंज, जिला– सोनभद्र उ0प्र0 231216 शाखाः पीएनबी डाला	बंधककर्ता का आवासिय भूमि स्थित आराजी संख्या 301 मि, ग्राम–बभनौली, परगना–बड़हर, तहसील– रॉबर्ट्सगंज, जिला– सोनभद्र, क्षेत्रफल– 4 बिस्वा, (स्वामी श्री विनय कुमार दुबे पुत्र स्व0 विजय शंकर दुबे।) चौहद्दीः पूर्व–सड़क, पश्चिम– गुलाम निजामुद्दीन की भूमि, उत्तर– नाली, दक्षिण– सड़क।	Rs. 13,24,634/- + ब्याज + अन्य खर्चे 01.09.2012 से घटाव वसूली, यदि कोई हो। 22/12/2012 13/03/2013 सांकेतिक	₹ 31.86 (लाख) ₹ 3.19 (लाख) ₹ 0.10 (लाख) -------------	26.05.2026 11.00 AM to 04.00 PM	कुछ नही
4.	उधारकर्ताः श्री लक्ष्मण शर्मा पुत्र श्री सूरज प्रसाद शर्मा सह–उधारकर्ताः श्रीमती तारा देवी पत्नी श्री गुपुत शर्मा सभी पताः ग्राम+पोस्ट– रमना, (बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक के पास) वाराणसी, उ0प्र0–221011 शाखाः पीएनबी रविन्द्रपुरी (885800)	बंधककर्ता का आवासिय भूमि व भवन स्थित आराजी संख्या 215/17, मौजा– रमना, परगना– देहात अमानत, तहसील एवं जिला– वाराणसी, क्षेत्रफल– 2720 वर्ग फुट, विलेख संख्या 2382 दिनांक 24.07. 1998, बही संख्या–1, जिल्द–1703, पृष्ठ 217 से 262 पर उप–निबंधक कार्यालय–II वाराणसी में पंजीकृत, (स्वामीः श्रीमती तारा देवी पत्नी श्री गुपुत शर्मा), चौहद्दी (विलेख के अनुसार): पूर्व– इंद्रावती देवी की भूमि, पश्चिम– लल्लन यादव की भूमि, उत्तर– प्रेम, शिवशरण व अन्य की भूमि, दक्षिण– 6 फीट चौड़ा रास्ता, उसके बाद श्याम लाल की भूमि।	Rs. 9,19,495.72/- + ब्याज + अन्य खर्चे 01.04.2024 से घटाव वसूली, यदि कोई हो। 24/04/2024 04/07/2024 सांकेतिक	₹ 34.00 (लाख) ₹ 3.40 (लाख) ₹ 0.10 (लाख)	26.05.2026 11.00 AM to 04.00 PM	कुछ नही
5.	उधारकर्ताः श्री मनोज कुमार सिंह पुत्र श्री नागेंद्र प्रताप सिंह गारंटरः श्रीमती नीलम सिंह पत्नी श्री मनोज कुमार सिंह, सभी पताः ग्राम– जसूरी, चंदौली, उ.प्र.–232104 शाखाः चंदौली (148510)	बंधककर्ता का आवासिय भूमि व भवन स्थित आराजी संख्या 309, मौजा– जसूरी, परगना– मझवार, तहसील व जिला– चंदौली, क्षेत्रफलः 560 वर्ग मीटर (डीड संख्या 1796, दिनांक 05.05.2022 के अनुसार) डीड सब–रजिस्ट्रार कार्यालय– सदर, चंदौली में बुक संख्या 1, वाल्यूम 10272, पृष्ठ 107 से 126 पर पंजीकृत है। स्वामीः श्री मनोज कुमार सिंह पुत्र श्री नागेंद्र प्रताप सिंह, चौहद्दी (विलेख के अनुसार): पूर्व– सुरेश सिंह का मकान, पश्चिम– 10 फुट का पक्का रास्ता, उत्तर– जितेंद्र सिंह की भूमि, दक्षिण– 10 फुट का पक्का रास्ता।	Rs. 7,93,761.00/- तक 30.11.2025 + ब्याज + अन्य खर्चे 01.12.2025 से घटाव वसूली, यदि कोई हो। 21/04/2025 23/07/2025 सांकेतिक	₹ 34.43 (लाख) ₹ 3.45 (लाख) ₹ 0.10 (लाख)	26.05.2026 11.00 AM to 04.00 PM	कुछ नही
6.	उधारकर्ताः मेसर्स न्यू आजाद मेडिकल हाल प्रोपराइटरः श्रीमती आलिया नूर पत्नी श्री शरीफुद्दीन गारंटरः 1. श्रीमती आलिया नूर पत्नी श्री शरीफुद्दीन, 2. श्री शरीफुद्दीन पुत्र श्री हदीबुद्दीन, सभी का पताः– मोहल्ला फूल खान, कस्बा घिसुआ खास, परगना घिसुआ, तहसील मछलीशहर, जिला जौनपुर, उ.प्र. –222143 शाखाः मछलीशहर (689600)	सामयिक बंधक की आवासीय सम्पत्ती स्थित ग्राम/मोहल्ला कस्बा घिसुआ खास, परगना– घिसुआ, तहसील– मछलीशहर, जिला– जौनपुर, कुल क्षेत्रफल 600 वर्गफट या 55.76 वर्गमीटर, डीड संख्या 4299 के अनुसार, जो 09.10.2017 को सब रजिस्ट्रार कार्यालय– मछलीशहर, जौनपुर में बुक संख्या 1, वॉल्यूम संख्या 3896, पृष्ठ 235 से 264 पर पंजीकृत है (स्वामीः श्री शरीफुद्दीन पुत्र श्री हबीबुद्दीन) चौहद्दी (विलेख के अनुसार): पूर्व– मुनीर अहमद की भूमि, पश्चिम– रास्ता, उत्तर– आसिया बानो की भूमि, दक्षिण– शायरा बेगम का मकान।	Rs. 12,34,169.07/- + ब्याज + अन्य खर्चे 01.08.2025 से घटाव वसूली, यदि कोई हो। 16/11/2024 11/03/2025 सांकेतिक	₹ 9.34 (लाख) ₹ 0.94 (लाख) ₹ 0.10 (लाख)	26.05.2026 11.00 AM to 04.00 PM	कुछ नही
7.	उधारकर्ताः राजेश कुमार यादव पुत्र पन्ना लाल यादव, निवासी 317/1, दैत्राबीर कॉलोनी, बलुवा रोड, आशापुर जिला। वाराणसी–221007 शाखाः नदेसर (203210)	सामयिक बंधक भूमि व भवन आराजी संख्या 304, क्षेत्रफल 935 वर्ग फुट अर्थात 86.89 वर्ग मीटर, मौजा तिलमापुर, परगना शिवपुर, तहसील सदर, जिला वाराणसी, सेल के अनुसार दिनांक 09–04–2010, वीरेंद्र मिश्र पुत्र स्व0 लोकनाथ मिश्र द्वारा राजेश कुमार यादव पुत्र पन्ना लाल यादव रजि. के पक्ष में निष्पादित किया गया। पुस्तक क्रमांक में 1 वाल्यूम संख्या 4154 पृष्ठ 61 से 92 दस्तावेज संख्या है। 2169. चौहद्दी बिक्री विलेख के अनुसार 2169, दिनांक 09.04.2010 : पूर्व – आनंद कुमार की भूमि, पश्चिम – आराजी का भाग, उत्तर – 8 फुट चौड़ा कच्चा रास्ता, दक्षिण – श्रीमती उर्मिला देवी की भूमि।	Rs. 10,31,616.62/- तक 30.11.2025 + ब्याज + अन्य खर्चे 01.12.2025 से घटाव वसूली, यदि कोई हो। 14/07/2025 21/10/2025 सांकेतिक	₹ 15.07 (लाख) ₹ 1.51 (लाख) ₹ 0.10 (लाख)	26.05.2026 11.00 AM to 04.00 PM	कुछ नही
8.	उधारकर्ताः मेसर्स सबीना ज्वैलर्स प्रोपः मनीरुल अली मलिक पुत्र नजीरुल मलिक जमानतदारः श्रीमती सबीना यास्मीन पत्नी मनीरूल अली मलिक, सभी पताः खालिसपुर, तरतला, सदर, जौनपुर, उत्तर प्रदेश–222001 शाखा– सिटी टावर 165120, जौनपुर	सामयिक बंधक की भूमि व भवन आराजी संख्या 152, मोहल्ला–खालिसपुर, परगना–हवेली, तहसील–सदर, जिला–जौनपुर क्षेत्रफल– 351 वर्ग फुट अर्थात 32.62 वर्ग मीटर, विलेख संख्या 5402 दिनांक 19.08.2017 के अनुसार, पुस्तक संख्या–1, खंड–7016, पृष्ठ 79 से 94 पर, उप–निबंधक कार्यालय– सदर जौनपुर में पंजीकृत, (स्वामीः सबीना यास्मीन पत्नी मनीरूल अली मलिक), चौहद्दी (विलेख के अनुसार): पूर्व– नन्हे की कृषि भूमि, पश्चिम– प्रस्तावित सड़क, उत्तर– सहाबू का मकान, दक्षिण– गुलफाम की भूमि।	Rs. 13,73,022.37/- + ब्याज + अन्य खर्चे 01.01.2025 से घटाव वसूली, यदि कोई हो। 16/06/2021 23/02/2023 सांकेतिक	₹ 8.48 (लाख) ₹ 0.85 (लाख) ₹ 0.10 (लाख)	26.05.2026 11.00 AM to 04.00 PM	कुछ नही
9.	उधारकर्ताः श्री शहाबुद्दीन खान उर्फ शाहबुद्दीन खान, पुत्र जलालुद्दीन खान जमानतदारः श्रीमती राबिया खानम पत्नी श्री शाहबुद्दीन खान, पूरा पताः एस–10/201 एम के–2 हुकुलगंज, वाराणसी, उ.प्र. 221001 शाखा– लालपुर वाराणसी (586400)	सामयिक बंधक की भूमि व भवन आराजी संख्या एस 10/201 एम–के–2, मौजा– हुकुलगंज, वार्ड– सिकरौल, परगना शिवपुर, तहसील– सदर, जिला– वाराणसी, क्षेत्रफलः 360 वर्ग फुट यानी 33.45 वर्ग मीटर (निर्मित क्षेत्रफलः भूतल पर 110 वर्ग फुट और प्रथम तल पर 110 वर्ग फुट, कुल 220 वर्ग फुट या 20. 44 वर्ग मीटर) यह विवरण विलेख संख्या 87, दिनांक 21.01.2020 के अनुसार है, जो पुस्तक संख्या–1, वाल्यूम– 3738, पृष्ठ 227 से 254 पर, उप–पंजीयक कार्यालय–II वाराणसी में पंजीकृत है (मालिकः श्रीमती राबिया खानम पत्नी मोहम्मद शाहबुद्दीन) चौहद्दी (विलेख के अनुसार): पूर्व– 5 फुट चौड़ा कच्चा रास्ता उसके बाद जमाल कुरैशी का मकान, पश्चिम– असगर और अन्य लोगों का मकान, उत्तर– आजाद का मकान, दक्षिण– मकान संख्या एस 10/201 एम–के–2 का हिस्सा	Rs. 9,66,675.20/- + ब्याज + अन्य खर्चे 01.04.2025 से घटाव वसूली, यदि कोई हो। 16/11/2022 21/03/2023 सांकेतिक	₹ 8.03 (लाख) ₹ 0.81 (लाख) ₹ 0.10 (लाख)	26.05.2026 11.00 AM to 04.00 PM	कुछ नही
10.	उधारकर्ताः मेसर्स तेजस हेल्थ केयर एंड सर्विसेज, प्रोप– श्री अनुप पुत्र संतोष कुमार, पता–1– 295, कन्हाईपुर चांदमारी, सदर, जौनपुर– 222002, पता–2– गूलरघाट, सदर, जौनपुर– 222002, पता–3– 148, टिकारी खुर्द, पोस्ट–कलापुर, तहसील शाहगंज, जौनपुर– उ0 प्र0–22239 जमानतदारः श्रीमती मीना कुमारी पत्नी प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, पता 1– कन्हईपुर चांदमारी, तहसील– सदर, जौनपुर– 222001, पता 2– ग्राम + पोस्ट हिंदी बघेला, तहसील– सदर, जौनपुर– 222001 शाखा– सिटी टावर (165120), जौनपुर	आराजी संख्या 15/492 पर स्थित आवासीय भूमि एवं भवन का ईएम जिसका क्षेत्रफल– 435 वर्ग फीट, उत्तर की ओर, कुल 1 डिसमिल और आराजी संख्या 15/491, क्षेत्रफल– 1865 वर्ग फीट, मौजा– कन्हाईपुर, परगना– हवेली, तहसील– सदर, जिला– जौनपुर। विलेख संख्या 4303 दिनांक 26.11.1993 के अनुसार उपनिबंधक कार्यालय सदर, जौनपुर में बुक संख्या 1, वाल्युम संख्या– 413, पृष्ठ 275 से 302 पर पंजीकृत, (स्वामी– श्रीमती मीना कुमारी पत्नी प्रमोद कुमार श्रीवास्तव।) चौहद्दी (विलेख के अनुसार): पूर्व– आराजी संख्या 58, पश्चिम– सड़क, उत्तर– आराजी संख्या 15/491 का आंशिक भाग, दक्षिण– हरिश्चंद्र श्रीवास्तव का प्लॉट उसके बाद मुकीर महाबल की जमीन।	Rs. 17,67,473.41/- + ब्याज + अन्य खर्चे 01.04.2025 से घटाव वसूली, यदि कोई हो। 26/10/2023 29/12/2023 सांकेतिक	₹ 68.00 (लाख) ₹ 6.8 (लाख) ₹ 0.10 (लाख)	26.05.2026 11.00 AM to 04.00 PM	कुछ नही
11.	उधारकर्ताः श्री त्रिभुवन नारायण तिवारी पुत्र श्रीराम तिवारी सह–उधारकर्ताः श्रीमती साधना तिवारी पत्नी त्रिभुवन नारायण तिवारी दोनो पताः मकान नं.–65, ग्राम–ताजपुर (मोलनापुर) पोस्ट–चंद्रावती, परगना–कटेहर, तहसील–सदर, जिला–वाराणसी, उ0प्र0–221116 शाखा–चौबेपुर, वाराणसी (149010)	सामयिक बंधक भूमि व भवन निर्माण अराजी नं. 1065, मौजा– मोलानापुर, परगना/वार्ड– कटेहर, तहसील– सदर, जिला– वाराणसी, क्षेत्रफल– 667 वर्ग फीट या 61.99 वर्ग मीटर, विलेख संख्या 6737 दिनांक 09.11.2012, उप निबंधक कार्यालय–1 वाराणसी में बुक नंबर 1, वॉल्यूम नं0– 4056, पेज नं. 27 से 54, (स्वामी– त्रिभुवन नारायण तिवारी पुत्र श्री राम तिवारी), चौहद्दी (विलेख के अनुसार): पूर्व– रामजनम तिवारी का मकान, पश्चिम– दशरथ प्रसाद का मकान, उत्तर–अन्य की भूमि, दक्षिण– कच्चा रास्ता।	Rs. 17,01,673.76/- + ब्याज + अन्य खर्चे 01.04.2025 से घटाव वसूली, यदि कोई हो। 14/10/2020 17/11/2021 सांकेतिक	₹ 18.36 (लाख) ₹ 1.84 (लाख) ₹ 0.10 (लाख)	26.05.2026 11.00 AM to 04.00 PM	कुछ नही

नियम एवं शर्तें :– बिक्री सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों और शर्तों और निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी: 1. संपत्तियां **“जहां है जैसे है” और “जो है जैसा है ” और “जो कुछ भी वहां है”** के आधार पर बेची जा रही हैं। 2. यहां ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित संपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। 3. बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट https://ebkray.in/baanknet.com पर उपलब्ध ई–नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऊपर लिखे दिनांक व समय के अनुसार की जायेगी तथा बोलीकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि नीलामी में भाग लेने के लिए वेबसाईट https://ebkray.in/baanknet.com पर रजिस्टर करें। 4. बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया देखें https://ebkray.in/baanknet.com और www.pnbindia.in, या श्री ह्रदयेश कुमार सिंह मुख्य प्रबंधक, प्राधिकृत अधिकारी (मोबाइल नंबर 8887721583) से सम्पर्क करें।

नोट: विवाद की स्थिती में अंग्रेजी अंक प्रकाशन ही मान्य होगा।

दिनांक : 10.05.2026 स्थान: वाराणसी **सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) एवं नियम 6(2) के तहत वैधानिक बिक्री सूचना** प्राधिकृत अधिकारी पंजाब नैशनल बैंक